न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश– XXVI, पटना
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–3209/2026
(संबंधित परिवाद वाद सं0–4971/2022)

Date	Order with signature	Office notes as to action taken
11.08.2026	आवेदक अभियुक्त **भोलानाथ साव**, उम्र करीब 65 वर्ष, पिता–स्व0 मिठूलाल साव, पता–60बी, बंदल रोड, बेदीगंज, थाना–गरिहाट, एस.ओ. कोलकाता, वर्तमान पता–रायफल रेंज रोड, बैलीगंज, कोलकाता की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है जो परिवाद वाद सं0–4971/2022 से संबंधित है जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 09.12.2022 को भा0द0वि0 की धारा–420 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। आवेदक अभियुक्त की ओर से गिरफ्तारी की आशंका होने पर दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री विरेन्द्र कुमार राय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन को संचालित करते हुए कथन किया गया कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा परिवाद वाद को देखने से यह स्पष्ट होगा कि यह मामला दीवानी प्रकृति का है तथा परिवादी और मुख्य अभियुक्त सुनील कुमार साव उर्फ सुनील कुमार के बीच फ्लिपकार्ट और अमेजन के फ्रेंचाईजी प्राप्त करने के लिए भविष्य की व्यापार की योजना बनाने के संबंध में मौखिक करार हुआ था। उपरोक्त मौखिक समझौते के कारण परिवादी 9,22,398/–रूपया का विनिवेश करने हेतु तैयार हुआ तथा 05.10.2020 से 05.07.2021 के बीच परिवादी द्वारा अभियुक्त सुनील कुमार अकॉउंट में मोबाईल बैंकिंग के जरिये रूपया का भुगतान किया गया। परिवाद पत्र से यह स्पष्ट है कि रूपये संबंधित सभी संव्यवहार परिवादी के खाता से सीधे सहअभियुक्त सुनील कुमार साव के खाता में किया गया। आवेदक भोलानाथ साव के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि परिवादी के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है तथा सभी कार्य परिवादी और अभियुक्त सुनील कुमार साव के साथ किया गया है तथा अभियुक्त सुनील कुमार साव अपने पिता एवं परिवार से 10 वर्षों से अलग किसी अन्य स्थान पर रह रहे हैं जिसकी जानकारी आवेदक अभियुक्त को नहीं है। आवेदक अभियुक्त एक वृद्ध व्यक्ति है जो कई बीमारियों से ग्रसित है। उक्त आधार पर आवेदक अभियुक्त अग्रिम जमानत की प्रार्थना करते हैं। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार राय एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास कुमार द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया। परिवादी का शपथ पर बयान इस प्रकार है कि उसने यह केस सुनील	

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश– XXVI, पटना
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–3209/2026
(संबंधित परिवाद वाद सं0–4971/2022)

लगातार **11.08.2026**	कुमार साव और भोलानाथ साव पर किया है। परिवादी का कहना है कि दोनों अभियुक्तों द्वारा उसे फि्लपकार्ट और अमेजन के पटना के फ्रेंचाइजी का ऑफर किया गया था तथा उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के एवज में परिवादी को उन दोनों अभियुक्तों को 9,23,000/–रूपया दिया गया था। परिवादी का आगे कहना है कि सभी भुगतान ऑनलाईन किया गया था परन्तु बाद में अभियुक्त टाल मटोल करने लगे तब परिवादी द्वारा मार्च 2022 में नोटिस भेजा गया जिसका जवाब अभियुक्तों द्वारा नहीं दिया गया। परिवाद वाद सं0–4971/2022 के अभिलेख का अवलोकन किया। परिवादी श्रीनाथ बाजपेयी ने अपने परिवाद पत्र के पैरा–6 एवं 7 में यह कहा है कि आवेदक अभियुक्त भोलानाथ साव द्वारा सह अभियुक्त सुनील कुमार साव के संबंध में पूर्ण आश्वासन दिया गया जिसके पश्चात् परिवादी मानसिक रूप से सुनील कुमार को रूपया देने को तैयार हुआ। इस प्रकार आवेदक अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ छल का अपराध करने का आरोप है तथा अभिलेख पर उपलब्ध परिवाद पत्र, शपथ पर बयान एवं जॉच साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर आवेदक अभियुक्त एवं एक अन्य के विरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2022 को भा0द0वि0 की धारा–420 के अंतर्गत संज्ञान लिया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में मैं यह पाता हूँ कि आवेदक अभियुक्त का मामला अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु उपयुक्त मामला नहीं है। तद्नुसार आवेदक अभियुक्त **भोलानाथ साव** का अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है। लेखापित Sd/- अपर सत्र न्यायाधीश–XXVI, पटना आदेश की प्रति संपूर्ण मूल अभिलेख के साथ श्री मनीष चंद्र, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी–प्रथम श्रेणी, पटना के न्यायालय में प्रेषित। अपर सत्र न्यायाधीश–XXVI, पटना	